रिव्यू 1306-PBR/17 दायरा

## न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर म.प्र.

क्रमाक 81/15-16/बी-121 14372 ग्वालियर दिनांक अप्रेल 2017 104

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

विषयः— प्रकरण कमाक 05/13—14/स्वमेव निगरानी मध्यप्रदेश शसन बनाम देवलाल पुत्र छुट्टा बाथम आदि पारित आदेश दिनांक 06—06—2014 ग्राम सांसन सर्वे कमाक 60 से निर्मित नवीन सर्वे कमाक 92 लगायत 108 के संबध में रिव्यू अनुमति बावत ।

--00---- [शासन / देवलाल]

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री रमेशचन्द्र दुवे अध्यक्ष अभिभाषक संघ भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण कमांक 05/13—14/स्वमेव निगरानी मध्यप्रदेश शासन विरूद्व देवलाल पुत्र छुट्टा वाथम आदि में पारित आदेश दिनांक 06—06—2014 ग्राम सांसन तहसील भितरवार के सर्वे कमांक 60 से निर्मित नवीन सर्वे कमांक 92 लगायत 108 भूमि के संबध में रिव्यू मे लिये जाने अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को भेजा गया था।

2/ आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 3—3—2017 द्वारा आदेशित किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति के लिये आयुक्त सक्षम अधिकारी न होकर मंडल सक्षम अधिकारी है पुर्नविलोकन की अनुमति के लिये प्रस्ताव राजस्व मण्डल को भेजा जाये।

3/ अतः मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 05/13—14/स्वमेव निगरानी मध्यप्रदेश शासन विरूद्व देवलाल पुत्र छुट्टा आदि मे पारित आदेश 06—06—2014 ग्राम सांसन सर्वे कमांक 60 से निर्मित नवीन सर्वे कमांक 92 लगायत 108 रिव्यू की अनुमति दिये जाने के संबध में प्रस्ताव न्यायालय का प्रकरण कमाक 81/15—16/बी—121 आर्डरशीट पृष्ठ कमांक 7 लगायत 10 मे प्रतिवेदित किया गया है। कृपया प्रस्ताव रिव्यू अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्नः— प्रकरण कमांक 81/15—16/बी—121
आर्डरशीट पृष्ठ 01 लगायत 09 तक
अन्य पृष्ठ 01 लगायत 74 तक

कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

D:\Sunil mahor\Letter doc- 143

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1306–पीबीआर/17 [शासन | देवलाल] जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 13–12–2017 | आवेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित । कलेक्टर द्वारा चाहे गये पुनर्विलोकन आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में संबंधित पक्षकार देवलाल को आहूत करने का प्रयास किया गया, किन्तु उसका सही पता उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे आहूत नहीं किया जा सका । कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न शिकायतकर्ता रमेश चन्द्र दुबे द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक देवलाल की मृत्यु हो चुकी है, अतः उसके वारिसान को अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है ।<br>2/ नियमानुसार बिना दूसरे पक्ष को सुने पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में प्रकरण कलेक्टर को उनकी मूल नस्ती के साथ इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाता है कि वे अनावेदक के वारिसों की सही जानकारी एवं पते ज्ञात करने के बाद प्रकरण पुनः पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु मंडल को भेजें । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह रिव्यु प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |